MagBook

arihant

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग तथा
अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक

भारतीय राजव्यवस्था एवं प्रशासन

NCERT पुस्तकों के महत्त्वपूर्ण तथ्यों
का कवरेज (कक्षा 6 से 12)

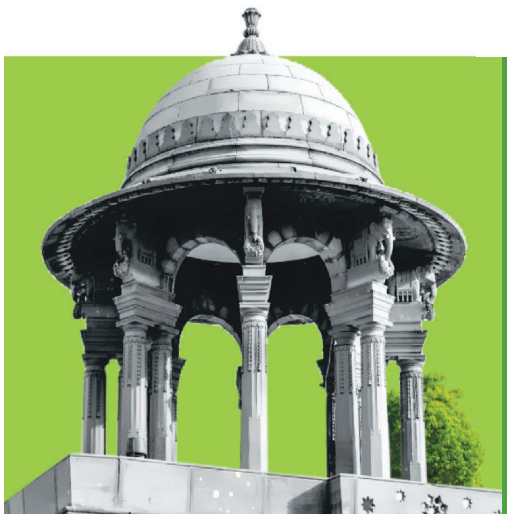

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम एवं पूर्व परीक्षा
के प्रश्नों की TOPICWISE
कवरेज 3000+ MCQs एवं
5 प्रैक्टिस सेट्स सहित

MagBook

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग
तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक

भारतीय राजव्यवस्था एवं प्रशासन

MagBook

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग
तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक

भारतीय राजव्यवस्था एवं प्रशासन

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम एवं पूर्व परीक्षा के प्रश्नों की TOPICWISE
कवरेज 3000+ MCQs एवं 5 प्रैक्टिस सेट्स सहित

लेखक
अजीत कुमार

arihant
अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड

arihant

अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड

सर्वाधिकार सुरक्षित

© प्रकाशक

इस पुस्तक के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन या किसी प्रणाली के सहारे पुनर्प्राप्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीकी तरीके—इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या वेब माध्यम से प्रकाशक की अनुमति के बिना वितरण नहीं किया जा सकता है। 'अरिहन्त' ने अपने प्रयास से इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्रोतों से प्राप्त किया है। पुस्तक में प्रकाशित किसी भी सूचना की सत्यता के प्रति तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए प्रकाशक, संपादक, लेखक अथवा मुद्रक जिम्मेदार नहीं हैं।

सभी प्रतिवाद का न्यायिक क्षेत्र 'मेरठ' होगा।

रजि. कार्यालय

'रामछाया' 4577/15, अग्रवाल रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली- 110002
फोन: 011-47630600, 43518550

मुख्य कार्यालय

कालिन्दी, टी०पी० नगर, मेरठ (यूपी)– 250002, **फोन:** 0121-7156203, 7156204

शाखा कार्यालय

आगरा, अहमदाबाद, बरेली, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी,
हैदराबाद, जयपुर, झाँसी, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर तथा पुणे

ISBN : 978-93-24199-26-3

Published by Arihant Publications (India) Ltd.

PO No : TXT-XX-XXXXXXX-X-XX

प्रोडक्शन टीम

पब्लिशिंग मैनेजर	:	अमित वर्मा	इनर डिज़ाइनर	:	मजहर चौधरी
प्रोजेक्ट हैड	:	करिश्मा यादव	पेज लेआउट	:	प्रवीन कुमार
प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर	:	अलीना जैदी	प्रूफ रीडर	:	प्रीति रँधावा
कवर डिज़ाइनर	:	बिलाल हाशमी			

'अरिहन्त' की पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **www.arihantbooks.com** पर लॉग इन करें या **info@arihantbooks.com** पर संपर्क करें।

Follow us on

विषय-सूची

1. **संवैधानिक विकास** 1-6
   - कम्पनी के अधीन संवैधानिक विकास (1600-1858)
   - ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास
   - भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (1947)

2. **संविधान का निर्माण** 7-12
   - संविधान सभा का गठन
   - भारतीय संविधान की विशेषताएँ

3. **संविधान की उद्देशिका** 13-16
   - उद्देशिका में निहित मूल्य एवं दर्शन
   - राष्ट्र की एकता और अखण्डता

4. **संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र** 17-22
   - देशी रियासतों का एकीकरण
   - राज्यों का पुनर्गठन
   - केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन

5. **नागरिकता** 23-27
   - नागरिकता का अर्थ
   - प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन

6. **मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य** 28-39
   - मौलिक अधिकारों का महत्त्व
   - मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण
   - मूल कर्त्तव्य
   - वर्मा समिति (1999) की रिपोर्ट

7. **राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व** 40-44
   - राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व
   - नीति-निदेशक तत्त्वों के उद्देश्य
   - नीति- निदेशक तत्त्वों की प्रकृति
   - नीति-निदेशक तत्त्वों के प्रकार
   - भाग IV से बाहर उल्लेखित निती निदेशक तत्त्व

8. **कार्यपालिका** 45-58
   - संघीय कार्यपालिका
   - राष्ट्रपति
   - उपराष्ट्रपति
   - केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्
   - प्रधानमन्त्री
   - उप-प्रधानमन्त्री
   - राज्य की कार्यपालिका
   - राज्यपाल
   - राज्य की मन्त्रिपरिषद्
   - मुख्यमन्त्री

9. **विधायिका** 59-71
   - संघीय विधानमण्डल
   - राज्यसभा
   - लोकसभा
   - राज्य का विधानमण्डल

10. **न्यायपालिका** 72-83
    - उच्चतम न्यायालय
    - उच्च न्यायालय
    - न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार
    - अधीनस्थ न्यायालय
    - लोक अदालत
    - ग्राम न्यायालय
    - न्यायिक सुधार आयोग
    - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
    - सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

11. **भारतीय संघवाद एवं केन्द्र-राज्य सम्बन्ध** 84-93
    - संघात्मक व्यवस्था
    - केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
    - भाग 11: संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध
    - भाग 12 : वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद

12. **संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ** 94-99
    - भारत में लोक सेवा का विकास
    - संघ लोक सेवा आयोग
    - राज्य लोक सेवा आयोग
    - केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

13. **संघशासित क्षेत्रों में शासन व्यवस्था** 100-102
    - संघशासित प्रदेशों का प्रशासन
    - संघशासित क्षेत्र दिल्ली की शासन व्यवस्था

14. **अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र** 103-105
    - पाँचवीं व छठी अनुसूची
    - जनजातीय क्षेत्र

15. **कुछ वर्गों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध** 106-110
    - अनुसूचित जाति एवं जनजाति सम्बन्धी उपबन्ध
    - पिछड़े वर्गों के लिए उपबन्ध
    - आंग्ल भारतीयों के लिए उपबन्ध
    - अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित उपबन्ध
    - भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

16. **भाषा सम्बन्धी उपबन्ध** 111-114
संघ की राजभाषा
न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा

17. **आपात उपबन्ध** 115-119
राष्ट्रीय आपात
राष्ट्रपति शासन
वित्तीय आपात

18. **प्रमुख संवैधानिक निकाय** 120-124
निर्वाचन आयोग
परिसीमन आयोग
वित्त आयोग
नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
सहकारी समितियाँ

19. **संविधानेत्तर निकाय** 125-131
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
योजना आयोग
राष्ट्रीय विकास परिषद्
केन्द्रीय सूचना आयोग
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
राष्ट्रीय महिला आयोग
क्षेत्रीय परिषदें
बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राष्ट्रीय एकता परिषद्

20. **भारत में निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय व्यवस्था** 132-139
निर्वाचन प्रणाली
चुनाव सुधार
वीवीपीएटी के जरिए मतदाताओं को फौरी फीडबैक
दलीय व्यवस्था
एक्जिट व ओपिनियन पोल

21. **भारत में स्थानीय स्वशासन** 140-150
स्थानीय स्वशासन से आशय
भारत में पंचायती राज का विकास
ग्रामसभा
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम
नगरपालिकाएँ
14वें वित्त आयोग और स्थानीय निकाय

22. **संवैधानिक जागरूकता** 151-157
सुशासन
न्यायिक सक्रियता
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
अनिवार्य मतदान
ई–गवर्नेन्स
सूचना का अधिकार
संसद बनाम न्यायपालिका
मानवाधिकार सम्बन्धी मुद्दे
ओम्बुड्समैन की वैश्विक स्थिति
ओम्बुड्समैन संस्था की भारतीय स्थिति
लोकपाल एवं लोकायुक्त
लोकपाल चयन समिति

23. **प्रमुख संवैधानिक संशोधन** 158-161
संविधान संशोधन की प्रक्रिया
संशोधनों के प्रकार

- **परिशिष्ट** 162-168
- **प्रैक्टिस सेट्स** (1-5) 171-194
- **विगत वर्षों के प्रश्न–सॉल्वड पेपर सेट** 1 197-209
- **विगत वर्षों के प्रश्न–सॉल्वड पेपर सेट** 2 210-215

प्रश्नों की प्रवृत्ति एवं फोकस टॉपिक्स

संवैधानिक विकास

इस अध्याय में परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण टॉपिक रेग्युलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, भारत परिषद् अधिनियम 1892 आदि हैं। विगत वर्षों में परीक्षाओं में भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद् अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, उद्देश्य प्रस्ताव और प्रारूप समिति के सदस्यों से सम्बन्धित प्रश्न बार-बार पूछे जाते रहे हैं।

संविधान का निर्माण

यह भारतीय राजव्यवस्था के सबसे महत्त्वपूर्ण खण्डों में से एक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत, संघात्मक चरित्र आदि हैं। पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के लचीले या कठोर स्वरूप तथा कल्याणकारी राज्य तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं।

संविधान की उद्देशिका

उद्देशिका संविधान की भूमिका है एवं संवैधानिक कानूनों की व्याख्या करते समय संशय की स्थिति होने पर इसका सहारा लिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह खण्ड बहुत महत्त्वपूर्ण है, अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न सम्प्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणराज्य जैसी संकल्पनाओं से पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ महत्त्वपूर्ण वाद जैसे बेरुबारी वाद, केशवानन्द भारती वाद तथा आर्थिक न्याय तथा समानता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।

संघ एवं इसका राज्यक्षेत्र

इस अध्याय में कुछ, बहुत महत्त्वपूर्ण टॉपिक शामिल हैं; जैसे- नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद- 2 और 3 के तहत उपबन्ध, राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समितियाँ आदि। विगत वर्षों में परीक्षाओं में प्रश्न आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखण्ड आदि का गठन किस प्रकार व किन परिस्थितियों में किया गया, नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया, फजल अली आयोग, धर आयोग आदि पूछे गए।

नागरिकता

परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कभी-कभी प्रश्न भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया, नागरिकता समाप्त होने की शर्तें, भारतीय मूल के व्यक्ति, प्रवासी भारतीय दिवस आदि से पूछे जाते हैं।

मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

परीक्षा की दृष्टि से यह खण्ड महत्त्वपूर्ण है, कुछ महत्त्वपूर्ण टॉपिक हैं; जैसे- विधि के समक्ष समता, प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परीक्षाओं में बार-बार प्रश्न कुछ टॉपिक से आते रहते हैं; जैसे-राज्य की परिभाषा, अवसर की समानता, वाक् स्वतन्त्रता का अधिकार, आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई रिट आदि।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व भी एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार प्रश्न आते रहते हैं; जैसे- अनुच्छेद- 39A, 40, 42, 44, 45 आदि। इस खण्ड से अधिकांश प्रश्न संकल्पनाओं पर आधारित आते हैं।

कार्यपालिका

यह भारतीय संविधान का एक महत्त्वपूर्ण सेक्शन है। परीक्षा की दृष्टि से इसके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय हैं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्। इन विषयों से संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचक मण्डल, महाभियोग की प्रक्रिया, आपात उपबन्ध, प्रधानमन्त्री के कार्य एवं शक्तियाँ, मन्त्रिमण्डलीय समितियाँ।

विधायिका

राज्य सभा एवं लोकसभा से सम्बन्धित कुछ विषय परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं- पीठासीन अधिकारी, संसद का सत्र, बजट प्रक्रिया, संसदीय समितियाँ इत्यादि। विगत वर्षों में जिन विषयों से प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, दल-बदल विरोधी कानून, राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियाँ, सभापति एवं उपसभापति के कार्य एवं शक्ति, संयुक्त संसदीय अधिवेशन, विभिन्न संसदीय गतिविधियाँ।

न्यायपालिका

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में न्यायपालिका से सम्बन्धित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं; जैसे- सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र, न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करना इत्यादि।

भारतीय संघवाद एवं केन्द्र–राज्य सम्बन्ध

इस अध्याय के कुछ महत्त्वपूर्ण विषय जिससे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, वे हैं जिन परिस्थितियों में केन्द्र–राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, आपातकाल के दौरान केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, करों एवं अनुदानों का बँटवारा आदि।

संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ

विगत वर्षों में इस अध्याय के कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों से प्रश्न पूछे गए हैं; जैसे–संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का वर्णन है, इसके सम्बन्ध में नियम एवं कानून बनाने की शक्ति।

संघशासित क्षेत्रों एवं राज्यों में शासन व्यवस्था एवं कुछ राज्यों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध

इस खण्ड में कुछ महत्त्वपूर्ण टॉपिक राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य, मुख्यमन्त्रियों के कार्य एवं शक्तियाँ एवं संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था से सम्बन्धित है। अधिकांश प्रश्न राज्यपाल की शक्तियों, कार्यकाल, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया, राज्य के महाधिवक्ता और सरकारिया आयोग की संस्तुतियों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू–कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध भी इस टॉपिक के अन्तर्गत आता है।

अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

इस टॉपिक से अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। कौन–सा अनुच्छेद किस अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में क्या उपबन्ध करता है। अत: यह टॉपिक अधिक महत्त्व का नहीं है।

भाषा सम्बन्धी उपबन्ध

परीक्षा की दृष्टि से यह खण्ड अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी नई भाषा को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में प्रावधान जैसे बोड़ो, मैथिली, सन्थाली एवं डोगरी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं।

आपात उपबन्ध

इस खण्ड से परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद– 356) के सम्बन्ध में पूछे जाते हैं, किन्तु तीनों आपात राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं आर्थिक आपातकाल के सम्बन्ध में ज्ञात होना चाहिए।

प्रमुख संवैधानिक निकाय

इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियाँ, वित्त आयोग, अटॉर्नी जनरल के कार्य एवं शक्तियाँ आदि से पूछे जाते हैं।

भारत में निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय व्यवस्था

परीक्षा की दृष्टि से यह खण्ड अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, कभी–कभी प्रश्न अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों से सम्बन्धित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।

भारत में स्थानीय स्वशासन

अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न इस टॉपिक से पंचायत और नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित तथा इनके संगठन, पंचायत एवं नगरपालिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया से सम्बन्धित होते हैं।

संवैधानिक जागरूकता

इस टॉपिक के अन्तर्गत परीक्षोपयोगी विविध मुद्दों को शामिल किया जाता है, जिनसे आजकल परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न आते हैं; जैसे–शासन में पारदर्शिता, शुचिता, उत्तरदायित्व, ई–गवर्नेन्स, नौकरशाही की भूमिका, महिला आरक्षण विधेयक, नि:शक्त जनों से सम्बन्धित अधिकार आदि।

प्रमुख संविधानेत्तर निकाय

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय के महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स हैं–
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, केन्द्रीय सूचना आयोग आदि इन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं।

लोकपाल एवं लोकायुक्त

विगत वर्षों के प्रश्न–पत्रों का अध्ययन करने व हाल की प्रवृत्तियों को देखने से पता चलता है कि परीक्षा की दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है, इस अध्याय से प्रश्न वर्तमान में भारत में लोकपाल बिल की स्थिति, राज्यों में लोकायुक्त, लोकपाल की वैश्विक स्थिति आदि से पूछे जाते हैं।

प्रमुख संवैधानिक संशोधन

इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं हाल ही में हुए संविधान संशोधनों से पूछे जाते हैं।

अध्याय एक
संवैधानिक विकास

''भारतीय संविधान के निर्माण की एक लम्बी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए अनेक ऐसे अधिनियम एवं चार्टर हैं, जिन्हें समय-समय पर ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, जो हमारे संविधान की पृष्ठभूमि कहे जा सकते हैं।''

कम्पनी के अधीन संवैधानिक विकास (1600-1858)

- इस अवधि में जितने भी अधिनियम पारित किए गए, वे मुख्यत: भारत में कम्पनी के व्यापार को अपने अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पारित किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए इनका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है।

राजलेख (1600)

- इस अधिनियम द्वारा **ईस्ट इण्डिया कम्पनी** को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। कम्पनी के भारतीय शासन की समस्त शक्तियाँ **गवर्नर** और उसकी **परिषद्** (जिसमें 24 सदस्य थे) को सौंप दी गई।
- इस परिषद् को (गवर्नर समेत) ऐसे नियमों-विधियों तथा अध्यादेशों को बनाने का अधिकार दिया गया, जिससे कम्पनी के प्रबन्धन व प्रशासन को सुचारु रूप से चलाया जा सके।
- भारत में कम्पनी के अधीन शासन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से **बम्बई**, **मद्रास** और **कलकत्ता** को प्रेसीडेन्सी नगर बना दिया गया व इसका शासन प्रेसीडेन्ट और इसकी परिषद् करती थी।

राजलेख (1726)

- इस राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेन्सियों के गवर्नर व उसकी परिषद् को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे पहले कम्पनी के **इंग्लैण्ड** स्थित निदेशक बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त थी, किन्तु गवर्नर और उसकी परिषद् की विधि बनाने की यह शक्ति सीमित थी।
- ये विधियाँ ब्रिटिश विधियों के विपरीत नहीं हो सकती थीं। इसके अतिरिक्त ये विधियाँ तब तक प्रभावी नहीं होती थीं। जब तक कि वे इंग्लैण्ड स्थित कम्पनी के निदेशकों द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हों।

रेग्युलेटिंग एक्ट (1773)

- इस अधिनियम के तहत भारत में कम्पनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस एक्ट द्वारा भारत में पहली बार एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई। *इसके मुख्य प्रावधान निम्न थे*
  - — बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' पद नाम दिया गया और बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेन्सी को कलकत्ता प्रेसीडेन्सी के अधीन कर दिया गया। गवर्नर-जनरल को युद्ध, सन्धि व राजस्व सम्बन्धी अधिकार प्रदान किए गए।
  - — इस एक्ट के अधीन **वॉरेन हेस्टिंग्स** को बंगाल का प्रथम गवर्नर-जनरल बनाया गया।
  - — गवर्नर-जनरल को परामर्श देने के लिए चार सदस्यों की एक परिषद् का निर्माण किया गया, जो बहुमत के आधार पर निर्णय लेती थी।
  - — कलकत्ता में एक **सुप्रीम कोर्ट** की स्थापना (1774 ई. में) की गई, जिसके प्राधिकार में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व तीन अन्य न्यायाधीश थे। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश **सर एलीजा इम्पे** थे।
  - — इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर' के माध्यम से कम्पनी पर नियन्त्रण सशक्त हो गया। इसी अधिनियम में कम्पनी के लिए भारत से सम्बन्धित राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया।

पिट्स इण्डिया एक्ट (1781 व 1784)

- 1773 ई. के रेग्युलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1781 ई. में एक एक्ट को पारित किया गया, जिसे **एक्ट ऑफ सेटलमेण्ट** कहा गया।
- इसके बाद 1784 ई. में **ब्रिटिश पार्लियामेण्ट** ने कम्पनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से पिट्स इण्डिया एक्ट को पास किया। इसी एक्ट में पहली बार भारत में कम्पनी के अधीन क्षेत्र को **ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र** कहा गया।

- इस एक्ट ने कम्पनी के व्यापारिक व वाणिज्यिक कार्यों को एक-दूसरे से अलग कर दिया।
- कम्पनी के व्यापारिक (वाणिज्यिक) मामलों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व सम्बन्धी मामलों को एक छः सदस्यीय नियन्त्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इस नियन्त्रण बोर्ड में ब्रिटेन का वित्तमन्त्री अर्थात् **चांसलर ऑफ एक्सचेकर,** एक राज्य सचिव तथा सम्राट द्वारा नियुक्त चार प्रिवी काउन्सिल के सदस्य होते थे।
- इस अधिनियम के द्वारा द्वैध-शासन की शुरुआत हुई, एक कम्पनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। यह व्यवस्था 1858 ई. तक विद्यमान रही।
- भारत में गवर्नर-जनरल के परिषद् की सदस्य संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई।

चार्टर एक्ट (1793)

- इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के प्रशासनिक कार्यों एवं संगठन में सुधार करना था। इसमें गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषद् के निर्णय बदलने का अधिकार दिया गया।
- इस एक्ट के द्वारा **नियन्त्रण मण्डल** के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया।
- इसके द्वारा सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया।

चार्टर एक्ट (1813)

- 1813 ई. के चार्टर एक्ट के द्वारा कम्पनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। साथ ही प्रथम बार अंग्रेजों की भारत के सन्दर्भ में **संवैधानिक स्थिति** स्पष्ट की गई थी।
  - — ₹ 1 लाख प्रतिवर्ष विद्वान् भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया।
  - — कम्पनी को ब्रिटिश संसद द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियन्त्रण का अधिकार दे दिया गया, किन्तु यह भी स्पष्ट किया गया कि कम्पनी पर **सम्राट** का प्रभुत्व बना रहेगा।
  - — इस एक्ट के द्वारा भारत में **ईसाई मिशनरियों** को प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई।

चार्टर एक्ट (1833)

- ब्रिटिश भारत के केन्द्रीकरण की दिशा में यह एक निर्णायक अधिनियम था।
- इस अधिनियम का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 ई. में सरकार के विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्यों को स्पष्ट करने हेतु किया गया। इसके द्वारा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में *कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए*
  - — इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर-जनरल को **भारत** का गवर्नर-जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। **लॉर्ड विलियम बैण्टिंक** भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल थे।
  - — कम्पनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, भविष्य में कम्पनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। इस प्रकार यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया।
  - — इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर-जनरल की परिषद् में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम **लॉर्ड मैकाले** को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर-जनरल की परिषद् में सम्मिलित किया गया।
  - — चाय तथा चीन के साथ व्यापार सम्बन्धी कम्पनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया।
  - — मद्रास और बम्बई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। अब सपरिषद् गवर्नर-जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
  - — इस एक्ट के द्वारा भारत में **दास प्रथा** को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर-जनरल को निर्देश दिया गया कि वह भारत से दास-प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

चार्टर एक्ट (1853)

- इस अधिनियम का निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने हेतु किया गया तथा इसके द्वारा विधायिका का विस्तार किया गया।
- गवर्नर-जनरल की परिषद् में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। इन 6 नए सदस्यों में बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा आगरा प्रान्तों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि तथा एक मुख्य न्यायाधीश एवं एक कनिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे।
- इस अधिनियम द्वारा विधानपरिषद् में कुल सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई।
- निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई तथा इनमें से 6 सदस्यों की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी थी।
- इस अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता वाली व्यवस्था को आरम्भ किया गया। इस प्रकार **सिविल सेवा परीक्षा** में भर्ती के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए।
- इस एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियन्त्रण बढ़ा तथा इसने भारतीय शासन को **ब्रिटिश सम्राट** को हस्तान्तरित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।

ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास

- 1857 ई. की क्रान्ति के बाद **ब्रिटिश सम्राट/ साम्राज्ञी** ने भारत की शासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस क्रम में सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1858 ई. में पारित किया गया।

भारत शासन अधिनियम (1858)

- यह अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम द्वारा किए गए प्रमुख संवैधानिक *परिवर्तन निम्न प्रकार हैं*
  - — इस अधिनियम के तहत भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया तथा भारत के गवर्नर-जनरल को **वायसराय** नाम दिया गया। यह वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। **लॉर्ड कैनिंग** भारत के प्रथम वायसराय बने।

— भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया। इस अधिनियम को **भारतीय स्वतन्त्रता का मैग्नाकार्टा** भी कहा जाता है।

— 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' तथा 'बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल' के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का राज्य सचिव या **भारत सचिव** नामक एक नया पद सृजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर सम्पूर्ण नियन्त्रण की शक्ति निहित थी। इसकी सहायतार्थ 15 सदस्यीय परिषद् का भी गठन किया गया। यह परिषद् एक सलाहकार समिति की तरह कार्य करती थी। भारत सचिव इस परिषद् का अध्यक्ष होता था। यह सचिव **ब्रिटिश कैबिनेट** का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।

भारतीय परिषद् अधिनियम (1861)

- इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रान्तों के गवर्नर तथा वायसराय के अधिकारों में वृद्धि कर दी तथा साथ ही विधानपरिषद् का विस्तार किया गया। *इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे*

— इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। **वायसराय** कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद् में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। इस प्रकार नामित किए गए सदस्यों के विधायी कार्य से सम्बद्ध कार्य करने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया।

— गवर्नर-जनरल की परिषद् की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करके उन्हें बम्बई तथा मद्रास की सरकारों में निहित कर दिया गया। इस प्रकार 1773 ई. के रेग्युलेटिंग एक्ट से शुरू केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को इस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। विकेन्द्रीकरण की इसी प्रवृत्ति के कारण वर्ष 1937 में प्रान्तों द्वारा पूर्ण आन्तरिक स्वायत्तता प्राप्त की गई।

— गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् का विस्तार कर दिया गया तथा उसमें एक **पाँचवाँ सदस्य** सम्मिलित किया गया, उसका न्यायविद् होना आवश्यक था तथा इसके साथ ही विधि-निर्माण हेतु गवर्नर-जनरल की परिषद् में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया।

— वायसराय को निषेधाधिकार (वीटो) की शक्ति प्राप्त थी तथा आपात स्थिति में परिषद् की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसे दे दी गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि छः माह तक होती थी।

— बहुत से ऐसे विषय निर्धारित किए गए, जिन्हें प्रस्तावित करने के लिए गवर्नर-जनरल की पूर्व-अनुमति आवश्यक थी।

भारतीय परिषद् अधिनियम (1892)

- इस अधिनियम का निर्माण विधानपरिषदों के विस्तार एवं उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से किया गया।
इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न थीं

— केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधानपरिषदों का विस्तार किया गया तथा उनमें 8 से 20 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई।

— इन नए सदस्यों में से 40% गैर-सरकारी होते थे, किन्तु इन परिषदों में बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था।

— विधानपरिषदों को प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार सीमित रूप में दिया गया।

— सपरिषद् वायसराय को विधानपरिषदों में वित्तीय विषयों, बजट आदि की विवेचना करने तथा प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, परन्तु ऐसे नियमों पर सपरिषद् भारत मन्त्री की सहमति अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय विधानपरिषदों में **गैर-सरकारी** सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति भी वायसराय को दी गई।

— इस अधिनियम का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान **चुनाव पद्धति की शुरुआत** करना था। यद्यपि चुनाव शब्द का प्रयोग अधिनियम में नहीं किया गया था, किन्तु इस अधिनियम ने केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों के लिए एक सीमित और परोक्ष चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान किया।

भारतीय परिषद् अधिनियम (1909)

- **मार्ले-मिण्टो सुधार** के नाम से प्रसिद्ध इस अधिनियम द्वारा परिषदों तथा उनके कार्यक्षेत्र का और अधिक विस्तार करके उन्हें अधिक प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के उपाय किए गए।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थीं

— केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधानपरिषदों के विस्तार की व्यवस्था की गई। केन्द्रीय विधानपरिषद् में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। *इसमें चार प्रकार के सदस्य थे*

1. पदेन सदस्य
2. मनोनीत सरकारी सदस्य
3. मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य
4. निर्वाचित सदस्य

— प्रान्तीय विधानपरिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, परन्तु सरकारी एवं मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक रखी गई तथा साथ ही विधानपरिषद् के सदस्यों को बजट का अन्तिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करने तथा प्रस्ताव प्रस्तावित करने का अधिकार प्रदान किया गया।

— सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने, अतिरिक्त अनुदान देने तथा नए कर लगाने से सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ-साथ सदस्यों को सार्वजनिक हित से सम्बन्धित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने तथा उन पर मत-विभाजन की माँग करने का अधिकार प्रदान किया गया।

— **पृथक् निर्वाचक मण्डल** का गठन किया गया। इसके आधार पर मुस्लिमों के लिए 'साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान' किया गया, इसके अन्तर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। परिषद् में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को वर्ग, समुदाय तथा हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया, उदाहरणस्वरूप, प्रान्तीय विधानपरिषदों के निर्वाचन हेतु तीन वर्गों—सामान्य, विशिष्ट एवं वर्ग विशेष (यथा भू-स्वामियों एवं व्यापार मण्डलों) की व्यवस्था की गई। केन्द्रीय विधानपरिषद् हेतु एक और वर्ग अर्थात् मुस्लिम वर्ग को सम्मिलित किया गया तथा **निर्वाचन मण्डल** की सदस्यता हेतु आय, सम्पत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाकर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई।

— वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। **सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा** वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने।

भारत शासन अधिनियम (1919)

ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार 20 अगस्त, 1917 को घोषणा की गई कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, इसीलिए भारत सरकार अधिनियम, 1919 बनाया गया जो, 1921 से लागू हुआ। इस अधिनियम को मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉण्टेग्यू भारत के राज्य तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।

इस अधिनियम की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ थीं

— अधिनियम द्वारा सरकार का ढाँचा केन्द्रीय एवं एकात्मक बनाए रखते हुए, केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों की सूची बनाकर राज्यों पर केन्द्रीय नियन्त्रण कम करने का प्रयास किया गया।

— इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध-शासन व्यवस्था का प्रारम्भ करना था। इसके तहत प्रान्तीय विषयों *को भी दो भागों में विभाजित किया गया।*

1. **आरक्षित विषय** इन विषयों पर शासन गवर्नर द्वारा कार्यकारी परिषद् की सहायता से किया जाता था, जो विधानपरिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसमें सभी महत्त्वपूर्ण विषय सम्मिलित थे; जैसे—कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू-राजस्व, उद्योग कृषि इत्यादि।
2. **हस्तान्तरित विषय** इस विषयों पर शासन गवर्नर मन्त्रियों की सहायता से करता था, जो विधानपरिषद् के प्रति उत्तरदायी होते थे। इनमें गैर-महत्त्वपूर्ण विषय सम्मिलित थे; जैसे—स्थानीय स्वशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य इत्यादि।

- अधिनियम द्वारा पहली बार देश में भारतीय विधानपरिषद् के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था (केन्द्रीय विधानसभा तथा राज्यपरिषद्) का गठन किया गया।
- पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को विस्तारित करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों पर भी लागू किया गया।
- वायसराय की 6 सदस्यी कार्यकारी परिषद् में तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था।
- इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अत: वर्ष 1926 में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

साइमन आयोग

नवम्बर, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना था। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे। अत: सभी भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसकी *प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं*

— प्रान्तों में द्वैध-शासन की समाप्ति कर, उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना।

— राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना।

— ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना।

— साम्प्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए।

नेहरू समिति की रिपोर्ट, (1928)

- साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव लॉर्ड बर्केन हैड ने भारतीयों के समक्ष चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें, जो सामान्यत: भारत के सभी लोगों को मान्य हो।
- भारतीय नेताओं ने चुनौती स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसके अन्य सदस्य सुभाषचन्द्र बोस तथा तेजबहादुर सप्रू थे।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त, 1928 को प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए एक सर्वांगपूर्ण संविधान के निर्माण का प्रथम प्रयास था।

भारत शासन अधिनियम (1935)

अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 ई. में प्रारम्भ हुई संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अन्तिम चरण भारत सरकार अधिनियम, 1935 को माना जाता है। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर शासन बनाए रखने का अन्तिम प्रयास था, *जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं*

- प्रान्तों में द्वैध-शासन की समाप्ति कर उन्हें स्वतन्त्र बनाया गया, जबकि केन्द्र में द्वैध-शासन की स्थापना की गई।

समस्त विषय को तीन सूचियों में विभाजित किया गया

1. केन्द्रीय सूची (Union List)-59
2. राज्य सूची (State List)-54
3. समवर्ती सूची (Concurrent List)-36

केन्द्रीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया

1. सुरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर करना था, जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जैसे—विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक एवं रक्षा मामले आदि।
2. हस्तान्तरित इन विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल को उन मन्त्रियों की सलाह पर करना था, जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे।

- सभी ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों एवं मुख्य आयुक्त के प्रान्तों को मिलाकर एक संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था।
- भारत में एक संघीय बैंक (रिजर्व बैंक, 1935) तथा संघीय न्यायालय (Federal Court, 1937) की स्थापना की गई।
- भारत परिषद् का अन्त कर दिया गया, परन्तु ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही।
- बर्मा, बरार एवं अदन को भारत से पृथक् किया गया।

कैबिनेट मिशन (1946)

भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री क्लीमेण्ट एटली ने फरवरी, 1946 में एक तीन सदस्यीय शिष्टमण्डल भेजने की घोषणा की। इसके सदस्य-लॉर्ड पैथिक लॉरेन्स (भारत सचिव), सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष), तथा ए वी अलेक्जेण्डर (नौसेना मन्त्री) थे।

कैबिनेट मिशन की *प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं*

- ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को सम्मिलित कर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। संघ के अधिकार में केवल तीन विभाग विदेश, रक्षा और संचार होंगे। अन्य सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों में निहित होगीं।
- भारत के सभी दलों के सहयोग एवं प्रयास से एक अन्तरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसके सभी विभाग भारतीयों के नियन्त्रण में रहेंगे।
- भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ₹ 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा।

अन्तरिम सरकार (1946)

- अन्तरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य थे। वायसराय परिषद् का प्रमुख बना रहा, जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

सदस्य	सम्बद्ध विभाग
जवाहरलाल नेहरू	राष्ट्रमण्डल एवं विदेशी मामले
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
जॉन मथाई	उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
सी. एच भाभा	कार्य, खान एवं ऊर्जा
आसफ अली	रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा एवं कला
लियाकत अली खाँ	वित्त
अब्दुल रब नश्तर	संचार
आई आई चुंदरीगर	वाणिज्य
गजनफर अली खान	स्वास्थ्य
जोगेन्द्र नाथ मण्डल	विधि

- 1935 के अधिनियम में पहली बार एक परिसंघ की स्थापना की बात कही गई थी, किन्तु देशी रियासतों की असहमति के कारण परिसंघ की योजना पूरी न हो सकी।
- वर्तमान में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है।
- पृथक्कतावाद का बीजारोपण वर्ष 1909 के मार्ले-मिण्टो सुधारों की घोषणा से हुआ।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (1947)

माउण्टबेटन योजना के अनुसार, ब्रिटिश संसद ने भारतीय विधेयक का प्रारूप बनाया तथा इसे भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 के नाम से 3 जून, 1947 को पारित किया गया। 18 जुलाई, 1947 को अधिनियम ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्वीकृत कर दिया गया।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे

- भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतन्त्र डोमिनियन की स्थापना 15 अगस्त, 1947 को की गई। इसके साथ ही बंगाल तथा पंजाब को विभाजित कर दो-दो प्रान्त बनाने का प्रस्ताव किया गया। यह निर्णय हुआ कि पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष प्रान्त ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होंगे।
- 15 अगस्त, 1947 को भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व ब्रिटिश भारत एवं भारतीय रियासतों पर समाप्त हो जाएगा।
- दोनों डोमिनियम राज्यों को शासन चलाने में भारत सरकार अधिनियम, 1935 तब तक सहयोग करेगा। जब तक वे अपने संविधान को अपना नहीं लेते हैं।
- प्रत्येक डोमिनियम के लिए महामहिम द्वारा नियुक्त पृथक् गवर्नर-जनरल होगा। स्वतन्त्र भारत के प्रथम व अन्तिम भारतीय गवर्नर-जनरल सी राजगोपालाचारी थे।
- शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त किया जाएगा एवं महामहिम की सरकार तथा भारतीय राजाओं के मध्य हुए समस्त समझौते, सन्धियाँ एवं अनुबन्ध समाप्त हो जाएँगे।
- इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर-जनरल को अस्थायी आदेश जारी करने का अधिकार बरकरार रखा गया।

स्वतन्त्र भारत का पहला मन्त्रिमण्डल (1947)

क्र. सं.	मन्त्री	सम्बन्धित विभाग
1.	जवाहरलाल नेहरू	प्रधानमन्त्री; राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध
2.	सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
3.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद	शिक्षा
5.	डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
6.	आर के षणमुगम शेट्टी	वित्त
7.	डॉ बी आर अम्बेडकर	विधि
8.	जगजीवन राम	श्रम
9.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
10.	राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
11.	सी एच भाभा	वाणिज्य
12.	रफी अहमद किदवई	संचार
13.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
14.	वी एन गॉडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा

सेल्फ चैक

बढ़ाएँ आत्मविश्वास...

1. भारत सरकार अधिनियम, 1935 में अन्तर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र (इन्स्ट्रुमेण्ट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स) को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? **[IAS 2010]**

(a) मूल अधिकार
(b) राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व
(c) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
(d) भारत सरकार के कार्य का संचालन

2. केन्द्र में द्वैध-शासन किस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया?

(a) 1909 के अधिनियम
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1911
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारत स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947

3. निम्नलिखित में से कौन अगस्त, 1946 में गठित प्रथम अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था?

(a) सी राजगोपालाचारी *(b)* डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(c) डॉ. एस राधाकृष्णन *(d)* जगजीवन राम

4. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय विधानपरिषद् को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? **[UPPCS 2003]**

(a) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
(b) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
(c) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
(d) भारत शासन अधिनियम, 1919

5. निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत शासन अधिनियम, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्त्वपूर्ण एवं स्थायी अवयव नहीं है? **[UPPCS 2010]**

(a) देश के लिए लिखित संविधान
(b) विधानमण्डल के लिए निर्वाचित एवं जबावदेह प्रतिनिधि
(c) एक संघ की योजना पर विचार
(d) विधानमण्डल के लिए सरकारी सदस्यों का नाम निर्देशित (Nominate) किया जाना

6. 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? **[UPPCS 2008]**

(a) संघीय विधानपालिका को
(b) प्रान्तीय विधानमण्डल को
(c) गवर्नर-जनरल को
(d) प्रान्तीय गवर्नरों को

7. भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्वि-सदनीय बनाई गई **[UPPCS 2008]**

(a) 1892 के काउन्सिल एक्ट द्वारा
(b) 1909 के काउन्सिल एक्ट द्वारा
(c) 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
(d) 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा

8. राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है **[UPPCS 2008]**

(a) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारत सरकार अधिनियम, 1947

9. निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? **[UPUDA/LDA 2010]**

(a) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारत स्वाधीनता अधिनियम, 1947

10. निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? **[UPPCS 2011]**

(a) इण्डियन काउन्सिल एक्ट, 1909
(b) गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1919
(c) गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935
(d) इण्डियन इण्डिपेण्डेन्स एक्ट, 1947

11. 1919 के भारत शासन सही अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख विशेषता/विशेषताएँ है/हैं? **[IAS 2012]**

1. प्रान्तों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध-शासन की व्यवस्था
2. मुसलमानों के लिए पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचक-मण्डलों की व्यवस्था
3. केन्द्र द्वारा प्रान्तों को विधायिनी शक्ति का हस्तान्तरण

कूट

(a) केवल 1 *(b)* 2 और 3 *(c)* 1 और 3 *(d)* 1, 2 और 3

12. कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत संविधान निर्मात्री परिषद् में प्रत्येक प्रान्त को आवण्टित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? **[UPPCS 2003]**

(a) ₹ 8 लाख व्यक्ति *(b)* ₹ 10 लाख व्यक्ति
(c) ₹ 12 लाख व्यक्ति *(d)* ₹ 15 लाख व्यक्ति

13. वर्ष 1946 में बनी अन्तरिम सरकार में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के पास कौन-सा विभाग था? **[IAS 2006]**

(a) रक्षा
(b) विदेश मामले तथा राष्ट्रमण्डल सम्बन्ध
(c) खाद्य तथा कृषि
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

14. भारतीय संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? **[IAS 2012]**

(a) मार्ले-मिण्टो सुधार, 1909
(b) मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947

1. (d) **2.** (c) **3.** (c) **4.** (b) **5.** (a) **6.** (c) **7.** (c) **8.** (c) **9.** (c) **10.** (c)
11. (c) **12.** (b) **13.** (c) **14.** (c)

अध्याय दो
संविधान का निर्माण

"भारत का संविधान भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान पुष्पित और लक्षित आदर्शों का पुंज है, जिसका निर्माण देश के मनीषियों द्वारा विभिन्न चरणों के माध्यम से लक्षित उद्देश्यों; जैसे-समाजवादी एवं लोकतान्त्रिक गणराज्य की स्थापना आदि की प्राप्ति के निमित्त किया गया।"

संविधान सभा का गठन

- भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसका गठन **कैबिनेट मिशन योजना** (1946) के तहत हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन ग्यारह प्रान्तों से 4 चीफ कमिश्नरों के अधीन चार प्रान्तों (दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान) से तथा 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से लिए जाने थे।
- प्रान्तीय सभाओं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य निर्वाचित हुए। प्रत्येक प्रान्त की सीटों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य, इन तीन प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवण्टित किया गया।
- दलीय स्थिति के आधार पर देखें, तो ब्रिटिश भारत के प्रान्तों को आवण्टित कुल 296 सीटों हेतु जुलाई-अगस्त, 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थानों पर तथा मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए आवण्टित सीटों में से 5 को छोड़कर शेष 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत-पद्धति द्वारा किया गया (देशी रियासतों के प्रतिनिधियों हेतु चुनाव पद्धति उनके परामर्श से तय की गई)।
- 3 जून, 1947 की योजना (माउण्टबेटन योजना) के अनुसार विभाजन के बाद सदस्यों की वास्तविक संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 229 सदस्य ब्रिटिश शासित प्रान्तों से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। विभाजन होने के उपरान्त मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने सदस्यों को वापस बुला लिया। इसके फलस्वरूप पूर्वी बंगाल, पंजाब, सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, बलूचिस्तान तथा असम के सिलहट जैसे जिले पाकिस्तान में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए।
- संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुता पर बल देते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि यह तभी भंग हो सकती है, जब सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे अन्यथा नहीं।
- संविधान सभा में कानून के प्रकाण्ड विद्वानों का बोलबाला था, मुख्यत: इसमें कांग्रेसियों की प्रधानता थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की इस पहली बैठक का बहिष्कार किया।
- प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से **डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा** को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा बाद में 11 दिसम्बर, 1946 को **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। **बी एन राव** को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में संविधान निर्माण की संकल्पना राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ी हुई है। भारत के संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भारत शासन अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद वर्ष 1922 में महात्मा गाँधी के द्वारा किया गया।
- 17 मई, 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कांग्रेस के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधानमण्डलों के निर्वाचित सदस्य व राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श से भारत के लिए एक संविधान निर्माण का आह्वान किया गया। इसी उद्देश्य हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें 10 अगस्त, 1928 को एक रिपोर्ट पेश की गई, जो **नेहरू रिपोर्ट** के नाम से प्रसिद्ध हुई।

- संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में स्वराज्य पार्टी ने दिया था।
- जून, 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा औपचारिक रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के गठन व संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किए जाने की माँग की गई।

संविधान सभा के विकास के चरण

- संविधान के निर्माण में संविधान सभा को **2 वर्ष, 11 माह** तथा **18 दिन** लगे। अपने कार्यकाल में संविधान सभा *निम्न तीन चरणों से गुजरी*

प्रथम चरण

- यह चरण 6 दिसम्बर, 1946 से 14 अगस्त, 1947 तक चला। इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। इस चरण में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का **उद्देश्य प्रस्ताव** प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई।

द्वितीय चरण

- यह चरण 15 अगस्त, 1947 से 26 नवम्बर, 1949 तक चला। इस दौरान संविधान सभा एक प्रभुत्वसम्पन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया व उस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

तृतीय चरण

यह चरण 27 नवम्बर, 1949 से मार्च, 1952 तक चला। इस दौरान संविधान सभा तब तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही, जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात् निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए व नई संसद का निर्माण नहीं हुआ।

उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसम्बर, 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे अन्ततः 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय आन्दोलन के सिद्धान्तों का सर्वोत्तम सारांश इस 'उद्देश्य प्रस्ताव' में निहित था।
- इस प्रस्ताव में एक तरफ संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था, तो दूसरी तरफ संविधान की सभी आकांक्षाओं एवं मूल्यों को भी समाहित किया गया।
- इस प्रस्ताव में सभी नागरिकों को 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कानून के समक्ष समानता के साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय इत्यादि की स्वतन्त्रता' की गारण्टी दी गई। इसमें 'अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों' के लिए पर्याप्त रक्षोपाय भी शामिल किए गए।
- संविधान सभा द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' की स्वीकृति के बाद संविधान रचना की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियाँ नियुक्त की गईं। इन समितियों द्वारा प्रस्तावित संविधान के प्रमुख सिद्धान्तों की रूपरेखा तैयार की गई।

महत्त्वपूर्ण समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष

समिति	अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार पटेल
प्रारूप समिति	डॉ. बी आर अम्बेडकर
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों सम्बन्धी परामर्श समिति	सरदार पटेल
नियम एवं प्रक्रिया समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति (राज्यों से समझौता करने वाली समिति)	जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
झण्डा समिति	जे बी कृपलानी
संविधान के कार्यों से सम्बन्धी समिति	जी वी मावलंकर
कार्य संचालन समिति	डॉ. के एम मुंशी
सदन समिति	बी पट्टाभिसीतारमैया
राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
मौलिक अधिकार उप-समिति	जे बी कृपलानी
अल्पसंख्यक उप-समिति	एच सी मुखर्जी

प्रारूप समिति का गठन

- संविधान सभा की सभी समितियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। **प्रारूप समिति** का गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ। इसमें 7 सदस्य थे। **डॉ. बी आर अम्बेडकर** को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इसलिए थी, क्योंकि इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
- विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप फरवरी, 1948 में प्रकाशित किया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने महत्त्वपूर्ण संशोधन किए।
- 15 नवम्बर, 1948 से 17 अक्टूबर, 1949 के बीच संविधान के प्रारूप के प्रत्येक उपबन्ध पर संविधान सभा में विचार-विमर्श किया गया। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप के तीन वाचन हुए। प्रथम वाचन संविधान सभा में 4 नवम्बर, 1948 को डॉ. बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया। इस दौरान संविधान पर पाँच दिनों तक आम चर्चा हुई।
- संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवम्बर, 1948 से प्रारम्भ हुआ। इसमें संविधान पर खण्डवार विचार किया गया। यह कार्य 16 नवम्बर, 1949 तक चला।
- संविधान का तृतीय वाचन 17 नवम्बर, 1949 से डॉ. बी आर अम्बेडकर के **द कॉन्स्टिट्यूशन ऐज सेटल्ड बाई द असेम्बली बी पास्ड** प्रस्ताव के साथ आरम्भ हुआ। इस पर विचार के पश्चात् संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित घोषित कर दिया गया।

- प्रारूप समिति के सदस्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर, एन गोपालास्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, वी एल मित्र (बाद में इनकी अवस्थता के कारण **एन माधवन** राव को नियुक्त किया गया), डी पी खेतान (इनकी मृत्यु के कारण बाद में **टी कृष्णामचारी** को नियुक्त किया गया), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर तथा के एम मुंशी थे।

संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य भी किए

- 1949 में राष्ट्रमण्डल में भारत की सदस्यता को स्वीकार किया।
- 22 जुलाई, 1947 को 'राष्ट्रीय ध्वज' अपनाया।
- 24 जनवरी, 1950 को 'राष्ट्रीय गान' अपनाया।
- 24 जनवरी, 1950 को 'राष्ट्रीय गीत' अपनाया।
- 24 जनवरी, 1950 को 'डॉ. राजेन्द्र प्रसाद' को 'भारत का प्रथम राष्ट्रपति' नियुक्त किया गया।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

- भारतीय संविधान की अनेक ऐसी विशेषताएँ हैं, जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती हैं। *इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं*

लिखित एवं विशाल संविधान

- भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तरह लिखित है, न कि ब्रिटेन की तरह अलिखित तथा परम्पराओं एवं प्रथाओं पर आधारित। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।
- इसमें भारतीय संघ के सभी महत्त्वपूर्ण अंगों के पृथक् प्रशासनिक स्वरूप और विभिन्न अंगों के बीच परस्पर सम्बन्धों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें संकटकालीन उपबन्धों का भी व्यापक वर्णन किया गया है।
- संविधान के बड़े आकार के पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं; जैसे—भारत का विस्तार और विविधता, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर केन्द्र और राज्यों के लिए एकल संविधान व भारत शासन अधिनियम, 1935 (जिसके अधिकतर उपबन्ध यथावत् अंगीकार कर लिए गए) का प्रभाव आदि।

कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण

- संविधान संशोधन की कठिन या सरल प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को कठोर या लचीला कहा जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है, जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।; जैसे-अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो, जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण की; जैसे—ब्रिटेन का संविधान।
- भारतीय संविधान को कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण कहा जा सकता है, क्योंकि संविधान के कुछ उपबन्धों; जैसे- 2, 3 तथा 4 एवं 169 का संशोधन साधारण विधान की तरह संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा तथा अन्य उपबन्धों का संशोधन विशेष बहुमत (संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत एवं कुल सदस्यों के बहुमत) द्वारा किया जा सकता है।
- कुछ उपबन्धों के संशोधन हेतु दोनों सदनों में विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम-से-कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।

लोकतन्त्रात्मक गणराज्य

- संविधान ने भारत में एक **लोकतन्त्रात्मक गणराज्य** की स्थापना की है। लोकतन्त्रात्मक शब्द का अर्थ इस बात में निहित है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है तथा शक्तियों का पृथक्करण किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है, जहाँ शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है।

संविधान की व्याख्या से सम्बद्ध सिद्धान्त

उदारवादी व्याख्या का सिद्धान्त भारतीय संविधान की व्याख्या उदारवादी तरीके से की जाती है न कि संकुचित दृष्टि से (गुडइयर इण्डिया बनाम हरियाणा राज्य, AIR 1990 SC 781)। संविधान की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के अतिरिक्त विशिष्ट नियम भी हैं। संविधान के सभी प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि प्रत्येक प्रयुक्त शब्द का अर्थ एवं प्रासंगिकता स्पष्ट हो।

विच्छेदता का सिद्धान्त यदि संविधान के किसी प्रावधान का कोई भाग अमान्य सिद्ध होता है, तो उस स्थिति में प्रावधान के शेष भाग की मान्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि वह प्रावधान से पृथक् किया जा सके तथा इसका अपना स्वतन्त्र अर्थ हो (प्रताप सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक, AIR 1955 SC 765, गोपाल बनाम मद्रास राज्य, 1950 SC 88)।

प्रत्याशित अमान्यता का सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या तथा इसके द्वारा घोषित कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होना चाहिए अर्थात् भूतकाल में पारित अधिनियम की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए (गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967, SC 1643)।

संसदीय शासन प्रणाली

- भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय लोकतन्त्र की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक व्यवस्था में संसद की प्रधानता रहती है तथा यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है यद्यपि केन्द्र तथा राज्यों में शासन व्यवस्था क्रमश: राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के नाम पर चलाई जाती है, परन्तु वास्तविक रूप से शासन का संचालन मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है, जो विधायिका (लोकसभा या विधानसभा) के प्रति उत्तरदायी होती है।
- भारत में **द्विसदनात्मक** केन्द्रीय विधायिका (संसद) की व्यवस्था की गई है। शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है।
- भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। जहाँ तक विधि-निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किन्तु भारत में संसद की विधि-निर्माण की शक्ति परिसीमित है।

मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

- भारतीय संविधान के भाग-III में मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त ऐसे अधिकार हैं,

जिनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन का तन्त्र एवं उसकी क्रियाविधि भी निर्धारित की गई है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व

- आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित नीति-निदेशक तत्त्व भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतन्त्र को बढ़ावा देना है तथा भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

- संविधान सभी वयस्क नागरिकों को, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं।

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

- संविधान द्वारा एक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का दबाव न रहे और वह केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके।
- न्यायपालिका की संरचना में शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है व सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के अधीन अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं। देश में स्थापित एकीकृत न्यायपालिका द्वारा केन्द्र व राज्य दोनों में कानूनों को लागू किया जाता है।
- भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुता की ब्रिटिश प्रणाली तथा न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी प्रणाली के समन्वय का प्रयास करते हुए मध्य मार्ग अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत एक ओर संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, तो दूसरी ओर संविधान द्वारा न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों के **न्यायिक पुनरीक्षण** की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- न्यायपालिका न केवल व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं की रक्षा करती है, बल्कि उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह समय-समय पर संविधान की व्याख्या करे।

आपातकालीन प्रावधान

- संविधान निर्माताओं को यह अनुमान था कि कभी ऐसी असाधारण स्थिति आ सकती है, जब सामान्य परिस्थिति की भाँति सरकार चलाना सम्भव न हो। ऐसे कठिन समय का सामना करने हेतु संविधान में आपात उपबन्ध की व्यवस्था की गई।
- भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन व वित्तीय आपात अर्थात् तीन प्रकार के आपात उपबन्धों की व्यवस्था की गई है।

© संविधान में 42वें संशोधन द्वारा भाग-IV (A) में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को याद दिलाना है कि उन्हें लोकतान्त्रिक व्यवहार के कुछ नियमों व मान्यताओं का पालन करना है।

© संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया। इनमें से 12 समितियाँ मूल मामलों से सम्बन्धित थीं तथा 10 समितियाँ कार्यविधि सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित थीं।

एकल नागरिकता

- संविधान में केन्द्र व राज्य के रूप में शासन की दो इकाइयों की व्यवस्था की गई है, लेकिन नागरिकता इकहरी है अर्थात् भारत की नागरिकता, न कि किसी राज्य की। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक केन्द्र की व दूसरी राज्य की। भारत में सभी को एकल नागरिकता तथा समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।

स्वतन्त्र अभिकरणों का प्रावधान

भारतीय संविधान में कुछ महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की गई है; जैसे—

—निर्वाचन आयोग
—नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक
—संघीय एवं राज्य लोकसेवा आयोग

त्रिस्तरीय शासन

- मूलत: संविधान में दो स्तरीय (केन्द्र व राज्य) शासन व्यवस्था थी, परन्तु वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन में शासन के तीसरे स्तर (स्थानीय स्वशासन) का प्रावधान किया गया। इसके तहत पंचायत व नगरपालिका नामक दो स्थानीय शासन व्यवस्थाओं का सृजन किया गया।

पन्थनिरपेक्ष राज्य

- संविधान भारत को एक पन्थनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पन्थनिरपेक्ष शब्द जोड़कर इस परिप्रेक्ष्य में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
- **पन्थनिरपेक्षता** से अभिप्राय है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई भी नीति नहीं बनाई जाएगी, जो देश में निवास करने वाले विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति भेदभावपूर्ण हो अर्थात् राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाता है और कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान

- संविधान ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों इत्यादि के लिए विशेष प्रावधान किया है। इन वर्गों के लिए न केवल संसद बल्कि राज्य विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित किए गए हैं अपितु उन्हें कुछ विशेष अधिकार व सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं।

समाजवादी राज्य

- वर्ष 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, जो संविधान के मूल रूप में नहीं था। संविधान का उद्देश्य सम्पूर्ण समाज में राजनीतिक, आर्थिक और अधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना है।

भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव

देश	प्रावधान (प्रभाव)
ब्रिटेन	• सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला • संसदीय शासन प्रणाली (द्विसदनीय व्यवस्था) • कानून का शासन • विधि निर्माण की प्रक्रिया • संसदीय विशेषाधिकार • एकल नागरिकता • राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति
अमेरिका	• प्रस्तावना • मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया • संविधान की सर्वोच्चता • राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया • उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का पदेन सभापति होना
कनाडा	• सरकार का अर्द्ध-संघात्मक स्वरूप *(सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था)* • केन्द्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण • अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त • राज्यपाल की नियुक्ति *(केन्द्र द्वारा)* • उच्चतम न्यायालय की परामर्श सम्बन्धी शक्तियाँ
आयरलैण्ड	• राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व • राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया • राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान
फ्रांस	• स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व का सिद्धान्त • गणतन्त्र
जापान	• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
रूस (पूर्व सोवियत संघ)	• मौलिक कर्त्तव्य • संघीय व्यवस्था • राज्यपाल का पद
ऑस्ट्रेलिया	• प्रस्तावना • समवर्ती सूची • केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
दक्षिण अफ्रीका	• संविधान संशोधन प्रक्रिया
जर्मनी	• आपातकालीन उपबन्ध

नोट यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन लक्षणों में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक परिवर्तन किए गए।

सेल्फ चैक

बढ़ाएँ आत्मविश्वास...

1. संविधान सभा की विभिन्न समितियों एवं उनके अध्यक्षों के सन्दर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित है/हैं?

1. संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2. प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार पटेल
3. संघीय संविधान समिति	एच सी मुखर्जी

कूट

(a) केवल 1 *(b)* केवल 2 *(c)* 1 और 2 *(d)* 2 और 3

2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए

1. राष्ट्रमण्डल में भारत की सदस्यता
2. राष्ट्रीय ध्वज अपनाना
3. राष्ट्रीय गान अपनाना
4. राष्ट्रीय गीत अपनाना
5. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करना

उपरोक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए?

(a) 1, 2 और 3 *(b)* 3, 4 और 5 *(c)* 1, 2, 4 और 5 *(d)* ये सभी

3. संविधान की समितियों के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. संविधान सभा में कुल 24 समितियों का गठन किया गया।
2. गठित समितियों में से 12 समितियाँ कार्यविधि मामलों से सम्बन्धित थीं।
3. गठित समितियों में से 12 समितियाँ मूल मामलों से सम्बन्धित थीं।
4. गठित समितियों में से 2 का सम्बन्ध स्वतन्त्रता संग्राम के आदर्शों से था।

कूट

(a) केवल 3 *(b)* 2 और 3 *(c)* 1, 2 और 3 *(d)* 3 और 4

4. संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन एक सदस्य नहीं था?

(a) मोहम्मद सादुल्लाह *(b)* के एम मुंशी
(c) ए के अय्यर *(d)* जवाहरलाल नेहरू

5. संविधान सभा से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को प्रस्तावित थी, किन्तु मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण ऐसा नहीं हो सका।
2. प्रथम अधिवेशन में बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 *(b)* केवल 2
(c) 1 और 2 *(d)* न तो 1 और न ही 2

6. 13 दिसम्बर, 1946 को 'जवाहरलाल नेहरू' द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें सम्मिलित थे?

(a) राष्ट्रीय आन्दोलन के सिद्धान्त
(b) संविधान से जुड़ी आकांक्षाएँ एवं मूल्य
(c) 'a' और 'b' दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

7. संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? **[UPPCS 2007]**

(a) डॉ. बी आर अम्बेडकर (b) पं. जवाहरलाल नेहरू
(c) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (d) डॉ. सी डी देशमुख

8. संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रान्त की सीटों को समुदायों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन-सा उन समुदायों को इंगित करता है?

(a) हिन्दू, मुस्लिम, सिख (b) हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
(c) मुस्लिम, सिख, हरिजन (d) मुस्लिम, सिख, सामान्य

9. अगस्त, 1946 के चुनाव परिणामों के सन्दर्भ में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. संविधान सभा के गठन हेतु अगस्त, 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों के लिए आवण्टित सीटों के एक तिहाई पर विजय प्राप्त हुई थी।
2. मुस्लिम लीग द्वारा कुल प्राप्त सीटों में मुसलमानों के लिए आवण्टित सीटों का हिस्सा आधे से भी कम था।

कूट

(a) केवल 1 *(b)* केवल 2
(c) 1 और 2 *(d)* न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सत्य है?

(a) संविधान सभा हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था
(b) एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया था
(c) 'a' और 'b' दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

11. भारतीय संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? **[UPPCS 2012]**

(a) संविधान सभा द्वारा
(b) भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा
(c) भारतीय संसद द्वारा
(d) ब्रिटिश संसद द्वारा

12. निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? **[IAS 2005]**

(a) बी आर अम्बेडकर *(b)* जे बी कृपलानी
(c) जवाहरलाल नेहरू *(d)* अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

13. भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में विभिन्न प्रान्तों में संविधान सभा के सदस्य **[IAS 2013]**

(a) उन राज्यों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे
(b) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे
(c) प्रान्तीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे
(d) सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चयनित किए गए थे

1. (c) **2.** (d) **3.** (a) **4.** (d) **5.** (b) **6.** (c) **7.** (b) **8.** (d) **9.** (d) **10.** (c)
11. (a) **12.** (c) **13.** (c)

अध्याय तीन
संविधान की उद्देशिका

"किसी भी देश के संविधान की उद्देशिका उस देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है, भारत के संविधान की उद्देशिका केवल शासन व्यवस्था को चलाने वाले सिद्धान्तों और लक्ष्यों का निर्देश मात्र न होकर, राष्ट्रवादी आन्दोलन के दौरान उभरे आदर्शों और गाँधीवादी मूल्यों का प्रतिबिम्ब भी है।"

उद्देशिका

- उद्देशिका या प्रस्तावना (Preamble) किसी भी विषय का **सार** एवं **परिचय** होता है, जिसमें उस विषय से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है।

> ''हम भारत के लोग, भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न**, **समाजवादी**, **पन्थनिरपेक्ष**, **लोकतन्त्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतन्त्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली **बन्धुता** बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा** में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**''

संविधान की उद्देशिका

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) **जवाहरलाल नेहरू** द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार **बी एन राव** द्वारा उद्देशिका का प्रारूप तैयार किया गया। प्रख्यात न्यायविद् व संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को **संविधान का परिचय-पत्र** कहा है।
- 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में **समाजवादी पन्थनिरपेक्ष** एवं **अखण्डता** शब्द जोड़े गए।

उद्देशिका के मूल तत्त्व

- *भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) में चार मूल तत्त्व हैं*
  1. **संविधान के अधिकार का स्रोत** प्रस्तावना कहती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत 'भारत के लोग' हैं।
  2. **भारत का स्वरूप** प्रस्तावना के अनुसार, भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक व गणतान्त्रिक राजव्यवस्था वाला देश है।
  3. **संविधान के उद्देश्य** उद्देशिका में वे उद्देश्य प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। इसके अनुसार न्याय, स्वतन्त्रता, समता व बन्धुत्व संविधान के मूल उद्देश्य हैं।
  4. **संविधान अंगीकरण की तिथि** संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवम्बर, 1949 का भी उल्लेख करती है।

उद्देशिका का महत्त्व

- प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान के आधार हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे कई निर्णय दिए हैं, जो प्रस्तावना के महत्त्व एवं उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। *प्रस्तावना तीन उद्देश्यों को पूरा करती है*
  1. यह उस स्रोत की ओर संकेत करती है, जिससे संविधान अपनी शक्ति को प्राप्त करता है।
  2. यह संविधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है।
  3. संविधान की स्वीकृति की तिथि संविधान के कुछ प्रावधानों की व्याख्या में उपयोगी है।
- संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष **सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर** के अनुसार, ''संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।''

उद्देशिका द्वारा शासन के लक्ष्यों की घोषणा

प्रस्तावना में शासन के तीनों अंगों (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के उद्देश्यों की स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है। प्रस्तावना के अनुसार, भारतीय *गणतन्त्र के चार प्रमुख स्तम्भ हैं*– न्याय, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व और समानता, भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से पूर्णतः भिज्ञ थे कि आर्थिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता नगण्य है। अतः उन्होंने समानता, स्वतन्त्रता एवं भ्रातृत्व के आदर्श सिद्धान्तों पर भारत के संविधान को आधार प्रदान किया।

उद्देशिका संविधान के भाग के रूप में

- उद्देशिका संविधान का एक अंग है, किन्तु यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। उद्देशिका में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, किन्तु उद्देशिका का संशोधन *अनुच्छेद* -368 के अधीन कुछ शब्दों को जोड़कर ही किया जा सकता है, क्योंकि इसका मूल ढाँचा यथावत रहना चाहिए। उद्देशिका के महत्त्व को उच्चतम न्यायालय ने कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा स्पष्ट किया है।
- **बेरूबारी यूनियन के मामले** (वर्ष 1960) में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था, कि ''उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है।''
- **गोलकनाथ मामले** (वर्ष 1967) में इस बात से सहमति प्रकट की गई थी कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, वहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है।
- **केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य मामले** (वर्ष 1973) में न्यायालय ने अपने निर्णय को उलटते हुए यह कहा कि 'उद्देशिका संविधान का भाग है।' इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि जब संविधान के अन्य सभी उपबन्ध अधिनियमित किए जा चुके थे, उसके बाद प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया।
- **केशवानन्द भारती मामले** में ही यह निर्णय दिया गया कि संसद द्वारा संविधान के *अनुच्छेद* -368 के अधीन उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, किन्तु उद्देशिका में निहित संविधान के बुनियादी तत्त्वों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

रघुनाथ राव मामले में न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका
(क) शक्ति का स्रोत नहीं है।
(ख) इसके द्वारा विधानमण्डल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।
(ग) यह संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबन्धों को समझने के लिए उपयोगी है।

उद्देशिका में निहित मूल्य एवं दर्शन

- *भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित मूल्य एवं दर्शन सम्मिलित हैं*

सम्प्रभुता

- सम्प्रभुता (Sovereignty) शब्द से आशय ऐसी सर्वोच्च सत्ता से है, जो किसी भी आन्तरिक अथवा बाह्य सत्ता द्वारा नियन्त्रित नहीं होती। भारतीय संविधान द्वारा सम्प्रभुता भारत की जनता में निहित की गई है।

समाजवाद

- मूल संविधान की उद्देशिका में 'समाजवादी' शब्द अन्तर्निहित नहीं था, परन्तु संविधान के **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा इसे उद्देशिका में समाविष्ट किया गया, जो भारतीय गणराज्य की विशेषता 'समाजवादी गणराज्य' को व्यक्त करता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय समाजवाद 'लोकतान्त्रिक समाजवाद' (Democratic Socialism) है। 42वें संविधान संशोधन से पहले भी संविधान में **नीति-निदेशक सिद्धान्तों** के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे।
- समाजवाद शब्द का आशय ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें उत्पादन के साधनों, जैसे—पूँजी, सम्पत्ति, जमीन आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियन्त्रण के साथ वितरण में समानता पाई जाती है।

पन्थनिरपेक्षता

- 'पन्थनिरपेक्ष' शब्द **42वें संविधान संशोधन** द्वारा ही जोड़ा गया है। पन्थनिरपेक्षता संविधान के आधारिक लक्षणों में से एक है। संविधान के द्वारा किसी भी मत या पन्थ को राज्य का पन्थ/धर्म घोषित नहीं किया गया है। संविधान में धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। धर्म की स्वतन्त्रता को मूल अधिकार के रूप में संरक्षण दिया गया है। (*अनुच्छेद-25-28*)

राज्य

व्यक्तियों का एक समुदाय, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भू-भाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है।

लोकतन्त्र

- 'लोकतन्त्र' शब्द में निहित मूल अवधारणा है कि सम्प्रभुता जनता में निहित है। लोकतन्त्र से यह भी आशय है कि धर्म, जाति, मत, रंग अथवा लिंग आदि के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाता और विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं।
- भारतीय संविधान में **संसदीय लोकतन्त्र** को अपनाया गया एवं शिक्षा, सम्पत्ति, आय अथवा लिंग को मापदण्ड बनाए बिना देश के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान कर संविधान को पूर्ण प्रतिनिधिक बनाने का प्रयास किया गया है।
- भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल राजनैतिक लोकतन्त्र की स्थापना ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना भी है। **डॉ. अम्बेडकर** के अनुसार, ''सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र ही वास्तविक लक्ष्य एवं अन्तिम उद्देश्य है।''

गणराज्यीय स्वरूप

- **गणराज्य** की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है, जिसमें जनता सर्वोच्च होती है तथा सर्वोच्च सत्ता किसी व्यक्ति विशेष में निहित न होकर जनसाधारण के हाथों में होती है। राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता तथा सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। राज्य का कोई **वंशानुगत** शासक नहीं होता तथा राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है।
- भारत का प्रमुख अर्थात् **राष्ट्रपति** अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चयनित किया जाता है तथा उसका चुनाव पाँच वर्ष के लिए किया जाता है।

न्याय

- संविधान की उद्देशिका में देश के सभी नागरिकों को न्याय का आश्वासन दिया गया है। न्याय से तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों अथवा समूहों के परस्पर हितों के मध्य तथा एक ओर व्यक्तियों व समूहों के हितों तथा दूसरी ओर समुदाय के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित हो। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि उद्देशिका में न्याय को स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व की अपेक्षा अधिक उच्च स्थान प्रदान किया गया है।
  न्याय को तीन रूपों में परिभाषित किया गया है—सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय से उच्चतर स्थान प्रदान किया गया है।

सामाजिक न्याय

- सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि, सभी नागरिकों को **समान अधिकार** प्राप्त होगा तथा जन्म, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, उपाधि आदि के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जाएगा।
- समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए जाएँगे।

आर्थिक न्याय

- आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है कि **अमीरों** तथा **गरीबों** के साथ **एक-सा** व्यवहार किया जाए एवं उनके बीच आर्थिक असमानता की खाई को पाटने का प्रयास किया जाए।

राजनीतिक न्याय

- राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि जाति, धर्म, सम्प्रदाय, नस्ल एवं जन्मस्थल के आधार पर विभेद किए बिना सभी नागरिकों को **राजनीतिक प्रक्रिया** में **भागीदारी** हेतु समान अधिकार प्राप्त हों।
- वास्तव में संविधान के भाग 4 (राज्य के निदेशक-तत्त्व) में निहित अनुच्छेदों (*अनुच्छेद*-36-51) का लक्ष्य भी न्याय से अनुप्राणित एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है, साथ ही *अनुच्छेद* -14 से 18 में, जो समता के उपबन्ध हैं, वे राजनीतिक न्याय के आधार हैं।

स्वतन्त्रता

- भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित 'स्वतन्त्रता' शब्द का अभिप्राय केवल नियन्त्रण या आधिपत्य का अभाव ही नहीं है अपितु यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतन्त्रता के अधिकार की सकारात्मक संकल्पना है।
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद-19 के अन्तर्गत 6 लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताओं; जैसे— भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता आदि तथा *अनुच्छेद*-25 से 28 के अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है।

समानता

- समानता से तात्पर्य है कि देश के सभी नागरिक विधि की नजर में समान हैं तथा उन्हें विधियों द्वारा **समान संरक्षण** प्राप्त है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेद-भाव के चुनाव प्रक्रिया तथा शासन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।
- लोक नियोजन एवं सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश के विषय में जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश या जन्मस्थान के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वर्ग का शोषण प्रतिबन्धित है।
- महिला एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है।
- संविधान में दो ऐसे उपबन्ध हैं, जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा (*अनुच्छेद*–325) तथा दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान (*अनुच्छेद*– 326)।

बन्धुत्व

- **बन्धुत्व** से अभिप्राय है आपसी भाइचारे की भावना तथा जातीय, भाषायी, धार्मिक एवं अन्य विविधताओं के बाद भी भारतीयता की साझी संस्कृति को बढ़ावा देना।
- भारतीय संविधान में निहित सार्वभौम नागरिकता से सम्बन्धित उपबन्धों का उद्देश्य भारतीय बन्धुत्व की भावना को मजूबत करना है। बिना किसी भेद-भाव के सभी नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की गारण्टी तथा सामाजिक एवं आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बनाए गए निदेशक सिद्धान्तों का भी उद्देश्य बन्धुत्व की भावना को सुदृढ़ करना है।

व्यक्ति की गरिमा

- बन्धुत्व को बढ़ावा देने एवं उसे सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अत: भारतीय संविधान की उद्देशिका में राज्य द्वारा **व्यक्ति की गरिमा** सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संविधान में स्वतन्त्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों की गारण्टी दी गई है।
- निदेशक तत्त्वों द्वारा राज्य को यह दिशा-निर्देश दिया गया है, कि वे अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार करें, ताकि सभी नागरिकों को **जीविकोपार्जन** हेतु साधन, काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएँ और एक समुचित जीवन-स्तर उपलब्ध कराया जा सके तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

राष्ट्र की एकता और अखण्डता

- संविधान निर्माताओं के समक्ष, सर्वोच्च चुनौती यह थी, कि एकीकृत भारत का निर्माण किस प्रकार किया जाए तथा विभिन्न प्रकार से विखण्डित-विभाजित सामन्ती समाज को मजबूत एवं संगठित राष्ट्र में कैसे परिवर्तित किया जाए। बन्धुत्व की भावना एवं व्यक्ति की गरिमा की रक्षा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता के लिए आवश्यक है।
- संविधान में *अनुच्छेद* -51(क) के अन्तर्गत सभी नागरिकों का यह कर्त्तव्य माना गया है, कि वे भारत की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा उद्देशिका में **एकता** शब्द को **एकता और अखण्डता** शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता के आदर्श को बल प्रदान किया गया।

सेल्फ चैक

बढ़ाएँ आत्मविश्वास...

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए हैं। निम्न में से किन शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया है? **[UPPCS 2010]**

1. समाजवादी
2. पन्थनिरपेक्ष
3. अखण्डता
4. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न

कूट

(a) 1 और 2 *(b)* 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 *(d)* ये सभी

2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है?

1. सामाजिक न्याय
2. आर्थिक न्याय
3. राजनीतिक न्याय
4. शैक्षणिक न्याय

कूट

(a) 1 और 2 *(b)* 2 और 3
(c) 3 और 4 *(d)* 1, 2 और 3

3. भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से क्या उल्लेखित है?

1. व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
2. अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता
3. व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता

कूट

(a) 1 और 2 *(b)* 2 और 3
(c) 3 और 1 *(d)* ये सभी

4. भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित 'स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व' आदर्श किस देश की क्रान्ति से प्रेरित है?

(a) रूसी क्रान्ति से *(b)* आयरिश क्रान्ति से
(c) फ्रांसीसी क्रान्ति से *(d)* अमेरिकी क्रान्ति से

5. भारतीय संविधान की उद्देशिका के सम्बन्ध में निम्न में से क्या सही है?

1. यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
2. यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
3. इसमें संसद के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है।
4. प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।

कूट

(a) 1 और 2 *(b)* 1 और 3
(c) 2 और 4 *(d)* 1 और 4

6. निम्न में से कौन-से युग्म सुमेलित नहीं है?

(a) के एम मुंशी – राजनीतिक कुण्डली
(b) एन ए पालकीवाला – संविधान का परिचय-पत्र
(c) ठाकुर दास भार्गव – संविधान की आत्मा
(d) अर्मेस्ट बेकर – उधार का थैला

7. भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित 'समाजवाद' के आदर्शों से क्या तात्पर्य है?

(a) लोकतान्त्रिक समाजवाद
(b) मार्क्सवादी समाजवाद
(c) साम्यवादी समाजवाद
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

8. संविधान की उद्देशिका में निहित मूल तत्त्वों में से कौन-से सही हैं?

1. संविधान की शक्ति का स्रोत 'भारत के लोग' हैं।
2. भारत एक सम्प्रभु, समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक व गणराज्य, वाला देश है।
3. उद्देशिका में वे उद्देश्य प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है।
4. उद्देशिका संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख करती है।

कूट

(a) 1 और 2 *(b)* 2 और 3
(c) 3 और 4 *(d)* ये सभी

9. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के अन्तर्गत इसमें संशोधन कर सकती है?

(a) अनुच्छेद– 368 *(b)* अनुच्छेद– 171
(c) अनुच्छेद– 39 *(d)* अनुच्छेद– 325

10. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का निम्न में से कौन-सा क्रम सही है?

(a) गणतन्त्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न
(b) सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र
(c) सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतन्त्र
(d) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य

11. भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस स्वतन्त्रता का वर्णन नहीं है? **[UPPCS 2008]**

(a) विचार की स्वतन्त्रता *(b)* विश्वास की स्वतन्त्रता
(c) उपासना की स्वतन्त्रता *(d)* आर्थिक स्वतन्त्रता

1. (c) **2.** (d) **3.** (d) **4.** (c) **5.** (b) **6.** (d) **7.** (a) **8.** (d) **9.** (a) **10.** (d) **11.** (d)

अध्याय चार
संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र

''भारत की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए साथ ही भारत को एक संघ का स्वरूप प्रदान करने के लिए संविधान के माध्यम से प्रयास किया गया। इस क्रम में सर्वप्रथम ब्रिटिश भारत शासित क्षेत्रों एवं देशी रियासतों का एकीकरण किया गया तथा उसके पश्चात् प्रारम्भ में भाषायी आधार पर और बाद में अन्य विविध आधारों पर राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया के पश्चात् भारत अपने वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया है।''

संघ एवं राज्यों के लिए संवैधानिक उपबन्ध

- भारतीय संविधान के **भाग I** में **अनुच्छेद-1 से 4** के अन्तर्गत भारतीय संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। **अनुच्छेद-1** के अनुसार *''भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ होगा।''*
- 'भारत अर्थात् इण्डिया' नाम संविधान सभा द्वारा काफी वाद-विवाद के उपरान्त देश के प्राचीन नाम भारत एवं सारी दुनिया में प्रचलित इसके आधुनिक नाम 'इण्डिया' के बीच तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भी इसका नाम 'इण्डिया' था तथा सभी **अन्तर्राष्ट्रीय समझौते** भी इसी नाम से किए गए थे।
- क्षेत्रीय विशालता तथा सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में सरकार के संघीय स्वरूप को अपनाया गया, परन्तु 'फेडरेशन' (परिसंघ) शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है तथा इसके बदले (संघ) 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया है, चूँकि भारतीय संघ स्वतन्त्र व सम्प्रभुतासम्पन्न राज्यों के 'एग्रीमेण्ट' का परिणाम नहीं है तथा राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अत: डॉ. अम्बेडकर के सुझाव पर Federation शब्द के बदले Union शब्द का प्रयोग किया गया। अत: 'भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।

देशी रियासतों का एकीकरण

- स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था—ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रान्त थे, जबकि देशी रियासतों की संख्या 600 थी, जिनमें से 542 को छोड़कर शेष 58 पाकिस्तान में शामिल हो गईं। 542 रियासतों में से तीन रियासतों; जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू-कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
- **जूनागढ़ रियासत** को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। **हैदराबाद रियासत** को सैन्य कार्यवाही द्वारा मिलाया गया तथा **जम्मू-कश्मीर रियासत** के शासक ने पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण के कारण भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर लिया। देशी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृहमन्त्री वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शी नीति और साहसिक कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम था।
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ब्रिटिश प्रान्तों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में **राज्यों को चार श्रेणियों** क, ख, ग और घ में बाँटा गया था।
  - —**भाग क** में वे राज्य थे, जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन प्रान्त कहे जाते थे, जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। इस श्रेणी में शामिल राज्य थे—असम, बिहार, बम्बई, मध्यप्रान्त, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रान्त एवं पश्चिम बंगाल।
  - —**भाग ख** में 275 देशी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया गया। इस श्रेणी में उन देशी रियासतों को राज्य बनाया गया, जिनका क्षेत्रफल अधिक था। इस श्रेणी में शामिल राज्य थे—हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब के राज्यों का संघ (पेप्सू), राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर एवं कोचीन।
  - —**भाग ग** में ब्रिटिश भारत के वे राज्य थे, जो छोटी रियासतें थीं या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मुख्य आयुक्त का शासन था। इस श्रेणी में शामिल राज्य थे—अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा।
  - —**भाग घ** राज्य पहले मुख्य आयुक्त के प्रान्त के नाम से जाने जाते थे। इस श्रेणी में सिर्फ अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह को शामिल किया गया।

राज्यों का पुनर्गठन

- स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों का भारतीय राज्यों के रूप में किया गया वर्गीकरण पूर्ण रूप से अस्थायी था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत से माँग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर हो। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर *निम्नलिखित आयोगों का गठन किया गया*

धर आयोग

- जून, 1948 में भारत सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश **एस के धर** की अध्यक्षता में भाषायी प्रान्त आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1948 में पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नए राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं, अपितु प्रशासनिक कार्यकुशलता होनी चाहिए।

जे वी पी समिति

- 'धर आयोग' की सिफारिशों पर विचार करने के लिए वर्ष 1948 के जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। *इस समिति के तीन सदस्य थे*— **जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, बी पट्टाभि सीतारमैया।** इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1949 में प्रस्तुत की तथा अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया। इस समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि सुरक्षा, एकता तथा राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए।
- इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगू भाषियों द्वारा पोट्टी **श्रीरामुलू** के नेतृत्व में पृथक् राज्य की माँग को लेकर आन्दोलन आरम्भ किया गया। वर्ष 1952 में, श्रीरामुलू की मृत्यु के बाद आन्दोलन की तीव्रता और बढ़ गई। फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगू भाषियों के लिए एक अलग आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की तथा 1 अक्टूबर, 1953 को स्वतन्त्र भारत में **भाषायी आधार पर प्रथम राज्य** आन्ध्र प्रदेश का गठन हो गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग

- भाषा के आधार पर आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद राज्यों की पुनर्गठन सम्बन्धी समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने हेतु जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1953 में **फजल अली** की अध्यक्षता में 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया गया। **हृदयनाथ कुँजरू** तथा **के एम पणिक्कर** इस आयोग के अन्य सदस्य थे।
- आयोग द्वारा 30 सितम्बर, 1955 को केन्द्र सरकार को सौंपे गए प्रतिवेदन या रिपोर्ट में *राज्यों के पुनर्गठन सम्बन्धित निम्नलिखित सिफारिशें की गईं*
  - —भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए।
  - —राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता पर दृष्टि रखते हुए किया जाना चाहिए।
  - —'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर दिया जाए तथा इनकी जगह पर 16 राज्यों तथा 3 केन्द्रशासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए।
  - —प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्द्धन किया जाए।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

- संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया गया तथा जुलाई, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया।

इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित 14 राज्य तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेशों की स्थापना की गई

14 *राज्य*

1. असम	2. बिहार	3. बम्बई
4. जम्मू-कश्मीर	5. पंजाब	6. उत्तर प्रदेश
7. मध्य प्रदेश	8. केरल	9. मद्रास
10. मैसूर	11. उड़ीसा	12. पश्चिम बंगाल
13. राजस्थान	14. आन्ध्र प्रदेश	

6 *केन्द्रशासित प्रदेश*

1. दिल्ली
2. हिमाचल प्रदेश
3. मणिपुर
4. त्रिपुरा
5. अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह
6. लकादीव, मिनिकॉय और अमीनीदीव द्वीप समूह

- वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी भारत के मानचित्र में व्यापक विभेद व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता व अन्य कारणों के चलते कई नए राज्यों का गठन किया गया। कई राज्यों का सीमा परिवर्तन व कई का विभाजन किया गया।

नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया

- संविधान के *अनुच्छेद-2* के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश अथवा नए राज्यों की स्थापना कर सकता है।
- *अनुच्छेद-3* के तहत संसद को किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र पृथक् करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही संसद को अधिकार है कि राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है।
- संसद द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन (बढ़ाया या घटाया) किया जा सकता है, परन्तु किसी राज्यक्षेत्र को किसी **विदेशी राज्य** को समर्पित करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है।
- अनुच्छेद-3 में दो शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। प्रथम, उपरोक्त परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरी, राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमण्डल को सूचित किया जाएगा, जो राज्य इस विधेयक द्वारा प्रभावित होगा। राष्ट्रपति वह अवधि निश्चित कर सकता है, जिसके अन्दर ही राज्य को अपना मत व्यक्त करना है।
- राष्ट्रपति (या संसद) राज्य विधानमण्डल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संघ राज्य नहीं है। अत: उनमें परिवर्तन के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य क्षेत्र को घटाने-बढ़ाने या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक उस राज्य के विधानमण्डल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है।

- अनुच्छेद-2 एवं 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश तथा विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों एवं उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन से सम्बन्धित विधेयक बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद-4 संविधान के *अनुच्छेद-4* के अनुसार, नए राज्यों का प्रवेश या गठन (*अनुच्छेद-2);* नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं; क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन (*अनुच्छेद-3)* संविधान के *अनुच्छेद-368* के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा अर्थात् इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जाएगा।

नए राज्यों का निर्माण

- स्वतन्त्रता के पश्चात् से भारत में नए राज्यों के निर्माण को लेकर अनेक माँगें हुई हैं; जैसे—उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश), झारखण्ड (बिहार), छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश), तेलंगाना (आन्ध्र प्रदेश), विदर्भ (महाराष्ट्र), बोडोलैण्ड (असम), गोरखालैण्ड (पश्चिम बंगाल), कोडगु (कर्नाटक), पाण्डिचेरी, दिल्ली इत्यादि।
- इनमें से कुछ राज्यों के निर्माण की माँग को स्वीकार करते हुए नए राज्यों का गठन किया गया है; जैसे—उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ को वर्ष 2000 में क्रमश: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से पृथक् कर राज्यों का निर्माण किया गया। इन राज्यों के गठन का निर्णय केन्द्र सरकार ने व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए लिया; जैसे—**अधिक जनसंख्या** व **विशाल क्षेत्रफल** के कारण प्रशासनिक दृष्टि से उत्तम प्रबन्धन न हो पाना, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना आदि।

आन्ध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014

सामान्यतया 'तेलंगाना विधेयक' के नाम से विदित इस विधेयक के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश को दो भागों- आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। नया राज्य 2 जून, 2014 से अस्तित्व में आ गया। **हैदराबाद,** तब तक **राज्यपाल** के अधीन व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनी रहेगी, जब तक आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी गठित नहीं कर ली जाती। विधेयक में दोनों राज्यों के मध्य सीमा विभाजन, देयता, संसाधनों का वितरण साथ ही हैदराबाद की स्थिति आदि को स्पष्ट किया गया है। ध्यातव्य है कि इस सम्बन्ध में **श्रीकृष्ण आयोग** का गठन किया गया था।

भारतीय राज्यक्षेत्र का अध्यर्पण

- संसद विधि बनाकर किसी राज्य के क्षेत्रों में वृद्धि या कमी कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र में कमी उस राज्य के कुछ क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिलाकर की जा सकती है। संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या संसद अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत भारतीय भू-भाग को एक विदेशी राज्य को दे सकती है?
- **बेरूबारी मामले** (1960) में इस विषय पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद-2 और 3 के अन्तर्गत संसद को भारतीय भू-भाग को विदेशी राज्य को सौंपने का अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप भारत किसी भू-भाग को विदेशी राज्य को सौंप सकता है।
- इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानकर भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच हुए समझौते (1950) को लागू करने के लिए संविधान का **9वाँ संशोधन** अधिनियम, 1960 में पारित किया गया।

सिक्किम का विलय

वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत की एक रियासत थी, जहाँ **चोग्याल वंश** के राजा का शासन था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन के अन्त के पश्चात् सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। वर्ष 1974 में संविधान के **35वें संविधान संशोधन** के द्वारा सिक्किम को एक **सहयुक्त राज्य** का दर्जा दिया गया। वर्ष 1975 में एक जनमत के द्वारा सिक्किम की जनता ने चोग्याल का शासन समाप्त करने हेतु निर्णय दिया, जिसके उपरान्त 36**वें संविधान संशोधन** के द्वारा सिक्किम को भारत का **पूर्ण राज्य** बना दिया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया **अनुच्छेद-371-च** को जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई।

केन्द्रशासित प्रदेशों का गठन

- संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्यक्षेत्र *तीन श्रेणियों में बाँटा गया है*
  1. राज्यक्षेत्र
  2. केन्द्रशासित प्रदेश
  3. ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र, जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाएँ।
- वर्तमान में भारत में **28 राज्य** और **8 केन्द्रशासित प्रदेश** हैं, किन्तु कोई अर्जित राज्यक्षेत्र नहीं है।
- ब्रिटिश शासनकाल में 1874 ई. में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए, बाद में इन्हें **मुख्य आयुक्त क्षेत्र** (चीफ कमिश्नरी) के नाम से जाना जाने लगा। स्वतन्त्रता के पश्चात् इन्हें भाग (ग) तथा (घ) राज्यों की श्रेणी में रखा गया। वर्ष 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केन्द्रशासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया।
- कुछ केन्द्रशासित प्रदेशों को कुछ समय बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा आरम्भ में केन्द्रशासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये सभी पूर्ण राज्य बना दिए गए हैं।
- दूसरी ओर पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र (गोवा, दमन-दीव और दादरा और नागर हवेली) तथा फ्रांसीसियों से लिए गए क्षेत्र (पाण्डिचेरी) केन्द्रशासित प्रदेश बन गए।
- *वर्तमान में आठ केन्द्रशासित प्रदेश हैं, ये हैं*
  1. अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह
  2. दिल्ली
  3. लक्षद्वीप
  4. दादरा-नागर हवेली और दमन-दीव
  5. पुदुचेरी
  6. चण्डीगढ़
  7. जम्मू-कश्मीर
  8. लद्दाख
- वर्ष 1973 तक लक्षद्वीप को लकादीव, मिनीकॉय एवं अमीनीदीव द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1992 से दिल्ली को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** के रूप में जाना जाने लगा।
- वर्तमान पुदुचेरी का क्षेत्र जोकि पूर्व फ्रांसीसी बस्ती के रूप में जाना जाता था। इसको फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार को वर्ष 1954 में अध्यर्पित कर दिया था, किन्तु वर्ष 1962 तक यह क्षेत्र 'अर्जित राज्य क्षेत्र' के रूप में प्रशासित किया जा रहा था, क्योंकि वर्ष 1962 तक फ्रांसीसी संसद ने अध्यर्पण की सन्धि को अनुमोदित नहीं किया था। वर्ष 2006 में पॉण्डिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया था।

- 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 प्रभाव में आया। इसके फलस्वरूप दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया।
- संविधान के भाग VIII के अन्तर्गत *अनुच्छेद*—239-241 केन्द्रशासित प्रदेशों के सम्बन्ध में है। सभी केन्द्रशासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है।
- राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्रों हेतु कुल 8 स्थान (4 जम्मू-कश्मीर से, 3 दिल्ली से तथा 1 पाण्डिचेरी से) निर्धारित हैं, जबकि लोकसभा में इनके लिए 20 स्थान निर्धारित हैं, जिनमें सर्वाधिक 7 दिल्ली में हैं।

जम्मू व कश्मीर और लद्दाख
(दो केन्द्रशासित प्रदेश)

- 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत के दो केन्द्रशासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आए। इस सन्दर्भ में केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा 5 अगस्त, 2019 को संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पेश किया था तथा संसद द्वारा पारित होने के पश्चात् 9 अगस्त, 2019 को इसे राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।
- इस तरह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत् जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों-विधानसभा के साथ **जम्मू और कश्मीर केन्द्रशासित** प्रदेश और बिना विधानसभा के **लद्दाख केन्द्रशासित** प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया।
- लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश में दो जिले (कारगिल और लेह) जबकि जम्मू और कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के शेष क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति द्वारा दो उप-राज्यपाल (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) नियुक्त किए जाएँगे।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश के तहत् जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के अधिकांश प्रावधानों (अनुच्छेद 370(1) को छोड़कर) को समाप्त कर दिया गया था, जिसके साथ ही अनुच्छेद (35A) भी स्वत: ही समाप्त हो गया था।
- 26 अक्टूबर, 1947 को जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हुआ था। संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा वर्ष 1952 में राष्ट्रपति के आदेश पर इसे अस्थायी रूप से लागू किया गया।
- जिसके पश्चात् राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए एक पृथक् संविधान का निर्माण किया गया जो 26 नवम्बर, 1957 को लागू हुआ।
- वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।

वर्ष 1950 के पश्चात् बनाए गए राज्य

आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश अधिनियम, 1953 द्वारा चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया भाषायी आधार पर प्रथम राज्य।
गुजरात, महाराष्ट्र	वर्ष 1960 में मुम्बई राज्य को दो भागों-गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया।
केरल	ट्रावनकोर-कोचीन की जगह बनाया गया (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा)।
कर्नाटक	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा, मैसूर राज्य से पृथक् कर बनाया गया। राज्य अधिनियम, 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया गया।
नागालैण्ड	नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 द्वारा असम राज्य से अलग बनाया गया नया राज्य।
हरियाणा	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया।
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 द्वारा राज्य का दर्जा।
मेघालय	संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा इसे असम राज्य के अन्दर एक उपराज्य बनाया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
मणिपुर, त्रिपुरा	पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1975 द्वारा संघ राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम	36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य की मान्यता प्रदान की गई।
मिजोरम	मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
गोवा	गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र बना रहने दिया गया तथा गोवा को निकालकर राज्य का दर्जा प्रदान किया।
छत्तीसगढ़	यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। (84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा सृजित)।
उत्तराखण्ड	यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। (84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा सृजित)।
झारखण्ड	यह राज्य बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है। (84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा सृजित)।
तेलंगाना	2 जून, 2014 को यह राज्य आन्ध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया।
जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों की विधानसभा के साथ जम्मू और कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश और बिना विधानसभा के लद्दाख केन्द्रशासित के रूप में विभाजित कर दिया गया।
दादरा व नागर हवेली एवं दमन और दीव	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव पश्चिमी भारत में एक केन्द्रशासित प्रदेश है जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई। यह 26 जनवरी, 2020 से अस्तित्व में आया इसकी राजधानी दमन में स्थित है।

विशेष दर्जा प्राप्त राज्य

राज्य का नाम	वर्ष
असम	1969
नागालैण्ड	1969
जम्मू-कश्मीर	1969
हिमाचल प्रदेश	1971
मणिपुर	1972
मेघालय	1972
त्रिपुरा	1972
सिक्किम	1975-76
मिजोरम	1986-87
अरुणाचल प्रदेश	1986-87
उत्तराखण्ड	2001

महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए उपबन्ध

- *अनुच्छेद-371* राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है कि वह महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियाँ दे; जैसे—विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र या सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक् विकास बोर्डों की स्थापना करें, इन बोर्डों के विकास कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में पेश करें आदि।

नागालैण्ड के लिए उपबन्ध

- *अनुच्छेद-371(A)* नागालैण्ड राज्य के लिए विशेष उपबन्ध की व्यवस्था करता है। इस विशेष उपबन्ध के तहत नागालैण्ड के सम्बन्ध में बनाया गया कोई अधिनियम; जैसे—नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ, नागा रुढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, सिविल और दण्डिक न्याय प्रशासन, जहाँ विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं, भूमि और उसके सम्पत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अन्तरण आदि तब तक लागू नहीं होगा, जब तक इसका अनुमोदन राज्य विधानसभा न कर दे।
- नागालैण्ड के राज्यपाल को, जब तक नागालैण्ड के स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव समाप्त नहीं हो जाते, तब तक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने का विशेष दायित्व सौंपा गया है। अपने इन दायित्वों के निर्वहन में राज्यपाल, राज्य की मन्त्रिपरिषद् से परामर्श कर सकता है, लेकिन वह स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकारी है तथा उसका निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

असम राज्य के लिए उपबन्ध

- *अनुच्छेद-371(B)* के तहत असम राज्य का राज्यपाल राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से या ऐसे सदस्यों से, जिन्हें वह उचित समझता है, एक समिति का गठन कर सकता है।

मणिपुर राज्य के लिए उपबन्ध

- *अनुच्छेद-371(C) मणिपुर राज्य के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है*
  - —राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों से एक समिति का गठन कर सकता है।
  - —राष्ट्रपति, इस समिति का उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है और राज्यपाल, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा।
  - —केन्द्र सरकार, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकती है।

आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित प्रावधान

- *अनुच्छेद-371(D)* व 371(E) में आन्ध्र प्रदेश के बारे में विशेष उपबन्ध दिए गए हैं;
  जैसे—
  - —राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य के सभी क्षेत्रों के निवासियों के लिए शिक्षा व रोजगार के समान अवसरों की व्यवस्था करे।
  - —राज्य के सिविल सेवकों की शिकायतों व विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रपति विशेष प्रशासनिक अधिकरण स्थापित कर सकता है।

सिक्किम से सम्बन्धित प्रावधान

- 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और संविधान में सिक्किम से सम्बन्धित नया अनुच्छेद-371(F) जोड़ा गया, जिसमें विधानसभा की संरचना, लोकसभा में राज्य को आवण्टित सीट आदि का प्रावधान है।
- राज्य के राज्यपाल को शान्ति स्थापना, समान सामाजिक-आर्थिक विकास व संसाधनों के उचित आवण्टन का विशेष दायित्व सौंपा गया है।

मिजोरम राज्य के लिए उपबन्ध

- *अनुच्छेद-371(G)* मिजोरम राज्य के लिए विशेष व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि राज्य की विधानसभा ऐसा करने का निर्णय न करे।

अरुणाचल प्रदेश से सम्बन्धित उपबन्ध

- *अनुच्छेद-371(H)* में दिए गए उपबन्धों के तहत इस राज्य के राज्यपाल को कानून एवं व्यवस्था की स्थापना का विशेष दायित्व सौंपा गया है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् से सलाह ले सकता है, लेकिन अन्तिम निर्णय राज्यपाल का ही होगा।

गोवा से सम्बन्धित प्रावधान

- *अनुच्छेद-371(I)* में गोवा के लिए यह वर्णित है कि राज्य की विधानसभा में कम-से-कम 30 सदस्य होंगे।

कर्नाटक व हैदराबाद से सम्बन्धित प्रावधान

- 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा कर्नाटक व हैदराबाद के विशेष प्रावधानों से सम्बन्धित *अनुच्छेद-371(J)* को संविधान में जोड़ा गया। इसमें हैदराबाद व कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्डों की स्थापना आदि का उपबन्ध है।

सेल्फ चैक

बढ़ाएँ आत्मविश्वास...

1. निम्नलिखित में से कौन-सी समिति भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित नहीं है?

(a) धर समिति *(b)* जे वी पी समिति
(c) फजल अली समिति *(d)* गॉडगिल समिति

2. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) 36वें संविधान संशोधन (1975) द्वारा 'सिक्किम' को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया
(b) गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
(c) दमन और दीव को भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया
(d) दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशक शासन के अन्तर्गत थे

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(B) में निम्न राज्य/राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबन्ध प्रावधानित हैं? **[UPPCS 2010]**

(a) महाराष्ट्र और गुजरात *(b)* असोम
(c) नागालैण्ड *(d)* मणिपुर

4. भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, क्योंकि

1. यह स्वतन्त्र एवं सम्प्रभुता सम्पन्न राज्यों के बीच एग्रीमेण्ट का परिणाम नहीं है।
2. इसकी इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

कूट

(a) 1 और 2 *(b)* केवल 1 *(c)* केवल 2 *(d)* इनमें से कोई नहीं

5. निम्नलिखित में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. संसद केवल साधारण बहुमत से भारत की इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है।
2. किसी राज्य की सीमा की पुनः बँटवारे से पहले संसद को उस राज्य की विधायिका की सहमति लेना आवश्यक है।
3. राज्यों की सीमा को बदलने वाले विधेयक की अनुशंसा करने से पहले राष्ट्रपति को उस राज्य की राय जान लेनी चाहिए।

कूट

(a) केवल 1 *(b)* 1 और 2 *(c)* 1 और 3 *(d)* 2 और 3

6. अनुच्छेद 371(C) किस राज्य के विशेष उपबन्ध को वर्णित करता है?

(a) मणिपुर *(b)* सिक्किम *(c)* हिमाचल प्रदेश *(d)* जम्मू-कश्मीर

7. राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित निम्न में से कौन-सी सिफारिशें की थीं?

1. भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
2. राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए दिया जाना चाहिए।
3. ए बी सी डी वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर इनकी जगह 16 राज्यों व 3 केन्द्रशासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए।

कूट

(a) 1 और 2 *(b)* 2 और 3 *(c)* 1 और 3 *(d)* ये सभी

8. भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक 'आर्थिक न्याय' का उल्लेख किया गया है?

(a) प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में
(b) प्रस्तावना व राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों में
(c) मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों में
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

(a) हृदयनाथ कुँजरू *(b)* फजल अली
(c) के एम पणिक्कर *(d)* इनमें से कोई नहीं

10. भारतीय संघ के अन्तर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसे है?

(a) भारत के राष्ट्रपति को *(b)* प्रधानमन्त्री को
(c) संसद को *(d)* सर्वोच्च न्यायालय को

11. यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? **[UPPCS 2008]**

(a) पाँचवीं अनुसूची *(b)* तीसरी अनुसूची
(c) दूसरी अनुसूची *(d)* प्रथम अनुसूची

12. राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवम्बर, 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए?

(a) 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य *(b)* 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य
(c) 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य *(d)* 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य

13. भाषायी आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन (निर्माण) किया गया? **[UKPCS 2007]**

(a) पश्चिम बंगाल *(b)* पंजाब *(c)* तमिलनाडु *(d)* आन्ध्र प्रदेश

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष उपबन्ध करता है।
2. अनुच्छेद 371 (A) असम राज्य के लिए उपबन्ध करता है।
3. अनुच्छेद 371 (C) मणिपुर के लिए विशेष उपबन्ध करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 *(b)* 2 और 3
(c) 1 और 3 *(d)* ये सभी

1. (d) **2.** (d) **3.** (b) **4.** (a) **5.** (a) **6.** (a) **7.** (b) **8.** (b) **9.** (b) **10.** (c)
11. (d) **12.** (a) **13.** (d) **14.** (c)